

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

अनुसूची-14 फार्म सं० 562

आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129

विविध अपील वाद सं०- 11R15 वर्ष- 2012 धारा.....

अपीलकर्ता / प्र०प० / आवेदक

प्रतिवादी / द्वि०प० / विपक्षी

चमेली महिला मंडल

वनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
24.11.12	<p>प्रस्तुत आवेदन चमेली महिला मंडल द्वारा सचिव श्रीमती विपती देवी साकिन-तिलमी, पंचायत-डेहकेला (तिलमी) प्रखण्ड करी ने अनुमंडल पदाधिकारी खूँटी के पत्रांक-206/आ० दिनांक-23.03.12 को अनुज्ञप्ति संख्या KA16/90 को रद्द करने के विरुद्ध अपील दायर किया है साथ में विलम्ब के लिए समयक्षांति आवेदन दाखिल किया गया है। दाखिला बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक-14.12.12 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">34/11/12</p>	
14.12.12	<p>अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में WP(C) N0-2185/12 दायर किया गया जिसमें वाद को खारिज कर दिया गया उसके बाद L.P.A. N0-374/12 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील दायर करने हेतु निदेश के साथ अपीलकर्ता ने अपना वाद वापस ले लिया।</p> <p>अतः अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी को अपीलवाद वापस (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि आवेदक के बिन्दुओं पर पुनः विचारकर आवश्यक कार्रवाई करें। निम्न न्यायालय एवं अपीलकर्ता को सूचित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>उपायुक्त, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">उपायुक्त, खूँटी।</p>	<p style="text-align: right;">34/12/12</p> <p style="text-align: right;">23/विधि 29-01-13</p>